राजस्व वाद संख्या 280/2021
उनवान रामकिशन बनाम तहसीलदार सेड़वा वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 280/2021
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. रामकिशन पुत्र जांवताराम जाति विश्नोई निवासी सेड़वा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा। 2. सुजानाराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी सेड़वा। 3. लाधुराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी सेड़वा। 4. बादामी देवी पत्नी डूंगरमल जाति खत्री निवासी सेड़वा 5. ठाकराराम पुत्र मालाराम जाति विश्नोई निवासी सेड़वा 6. खेताराम पुत्र पदमाराज जाति ब्राह्मण निवासी कृष्णपुरा तहसील सेड़वा। 7. मांगीलाल पुत्र पदमाराम जाति ब्राह्मण निवासी कृष्णपुरा, बाधा तहसील सेड़वा। 8. नरेश कुमार पुत्र सूरजकरण जाति माहेश्वरी निवासी पनोरिया 9. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थी वकील –बाबूलाल जांणी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16/03/2026

प्रार्थी रामकिशन पुत्र जांवताराम जाति विश्नोई निवासी सेड़वा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मूल खसरा संख्या 361 रकबा 31 बीघा 07 बिस्वा मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में स्थित है। प्रार्थी के पिता जांवताराम पुत्र गुणेशाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरान की भूमि खसरा नं. 361 रकबा 31.07 बीघा भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए उक्त खसरान की भूमि में से मूल खसरा नम्बर 361 में से 361/1 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 361/2 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 361/3 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 361 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा इस प्रकार मूल खसरा नम्बर 361 का विभाजन होकर 10 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन सड़क में बन जाने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त खसरान की भूमि में सड़क निर्माण करने के कारण मूल खसरा चार भागों में विभक्त हो गया तथा उसी के अनुसार मौके पर राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी गई थी तथा उसी के अनुसार राजस्व नक्शे व जमाबंदी में अंकन कर दिया गया। प्रार्थी के पिताजी स्व. जांवताराम द्वारा अपने खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 361, 361/1, 361/2 व 361/3 जिसमें 361/1 गैर मुमकिन सड़क का तथा शेष खसरे क्रमशः मौके पर सड़क पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाने के बाद मौके पर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 361, 361/2, 361/3 रकबा क्रमशः 07 बीघा 09 बिस्वा, 10 बीघा 13 बिस्वा, 02 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 20.17 बीघा भूमि तथा सड़क में खसरा नम्बर 361/1 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा कुल भूमि 31 बीघा 07 बिस्वा भूमि राजस्व नक्शे व राजस्व जमाबंदी में अंकन मौका एवं नक्शे के अनुसार खसरा विभक्त होकर अंकन किया गया था। स्व. जावंताराम के जीवनकाल में उक्त खसरान की भूमि की जमाबंदी राजस्व रेकर्ड के अनुसार ही दुरुस्त की गई थी तथा राजस्व नक्शे में तरमीम भी मौके के कब्जे व सेटलमेन्ट में खसरे की तरमीम के अनुसार ही अंकन किया गया, विभाजन कर खसरे की मूल खसरे 361 की तरमीम की गई थी। स्व. जांवताराम की मृत्यु होने पर उनके उतराधिकारी रामकिशन के नाम से उक्त खसरान की 361, 361/2, 361/3 की भूमि का उतराधिकारी के रूप में पैतृक भूमि का रामकिशन के नाम से नामान्तरकरण भरा गया। स्व. जांवताराम की खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 361 का मूल खसरा का विभाजन होने से तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त खसरान की भूमि में मौके पर सड़क निर्माण करने से मूल खसरा नम्बर 361, 361/2, 361/3 की भूमि का उतराधिकारी के रूप में पैतृक भूमि का रामकिशन के नाम से नामान्तरकरण भरा गया। स्व. जांवताराम की खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 361 का मूल खसरा का विभाजन होने से तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त खसरान की भूमि में मौके पर सड़क निर्माण करने से मूल खसरा नम्बर 361, 361/1, 361/2 व 361/3 में विभक्त हो गया तथा मौके पर कब्जे काश्त व सड़क निर्माण होने से मौके अनुरूप खसरे की तरमीम कर तरमीम खतौनी तैयार की गई तथा एक सड़क तरमीम जमाबंदी अलग विभाजन तैयार की गई थी तथा उसके साथ एक सड़क तरमीम जमाबंदी भी अलग तैयार की गई। स्व. जांवताराम के जीवनकाल में तथा उसके बाद उनके विधिक उतराधिकारी रामकिशन का मौके पर कब्जा काश्त एवं खातेदारी चलती आ रही है। लेकिन हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ऑन लाईन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश व कम्प्यूटर मिस्टेक से चालू जमाबंदी में खसरा नम्बर 361 की भूमि के रकबा का अंकन में लिपिकीय भूल की गई है। वर्तमान में रामकिशन प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खाते की स्थिति अनुसार खसरा संख्या 681/361 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 673/361 रकबा 7—09 बीघा, खसरा संख्या 675/361 रकबा 7—13 बीघा, खसरा संख्या 680/361 रकबा 1—15 बीघा किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 17—17 बीघा भूमि खातेदार सुजानाराम लाधूराम पि. रामकिशन विश्नोई के नाम दर्ज है। उक्त खाता की जमाबंदी के अंकन में लिपिकीय त्रुटि है, जिसे शुद्ध करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि के खसरा संख्या 361 की तरमीम के बाद तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के बाद अवाप्ति भूमि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवाप्त राज्य सरकार को करने पर राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को राजस्व नक्शों में व राजस्व जमाबंदी में अलग से अंकन कर सड़क तरमीम का अलग से नक्शा व सड़क तरमीम की अलग से जमाबंदी जारी की गई। राजस्व रेकर्ड में अंकन कर मौके पर कब्जे काश्त व सड़क निर्माण राजस्व नक्शे के अनुसार व जमाबंदी में अंकन तरमीम की गई जो वर्तमान में नक्शे में अंकन व तरमीम कब्जे काश्त व मौके के अनुरूप आज भी सही व वास्तविक है। प्रार्थी के पैतृक खातेदारी भूमि के खसरा संख्या 361 ग्राम सेड़वा तहसील सेड़वा के खसरे की वास्तविक स्थिति मौके कब्जे काश्त के अनुसार सड़क तरमीम की जमाबंदी व नक्शे की तरमीम के अनुसार वास्तविक तरमीम व जमाबं[illegible]कितानुसार खसरा व रकबा की स्थिति निम्न प्रकार है— खसरा संख्या 361 रकबा [illegible] खातेदार जावंताराम, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

संख्या 361/1 रकबा 10–10 बीघा खातेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग, खसरा संख्या 361/2 रकबा 10–13 बीघा खातेदार जावंताराम व खसरा संख्या 361/3 रकबा 2–15 बीघा भूमि खातेदार जावंताराम जुमले रकबा 31–07 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि अनुसार प्रार्थी राजस्व जमाबंदी में अंकन करवाने का अधिकारी है, जिस हेतु यह दुरुस्ती का आवेदन पेश किया जा रहा है। प्रार्थी रामकिशन के पैतृक खातेदारी भूमि के खसरा संख्या 361 की वास्तविक मौका की कब्जा अनुसार, राजस्व रेकर्ड व नक्शे अनुसार खसरा संख्या 361 रकबा 07–09 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि खातेदार रामकिशन के नाम दर्ज है। वर्तमान मौका स्थिति तरमीम अनुसार खसरा संख्या 361 विभाजन सड़क तरमीम होने से नवीन खसरा संख्या 673/361 रकबा 7–09 बीघा, पुराना खसरा संख्या 361/2 रकबा 10–13 बीघा, नया खसरा संख्या 675/361 रकबा 07–13 बीघा, पुराना खसरा संख्या 361/1 रकबा 10–10 बीघा किस्म गै.मु.सड़क, पुराना खसरा नम्बर 361/3 रकबा 02–15 बीघा रामकिशन, नया खसरा संख्या 681/361 रकबा 01 बीघा रामकिशन अनुसार वर्तमान जमाबंदी के अंकन में 681/361 व 873/361 के अंकन में लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरुस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी रामकिशन के पिताजी स्व. जांवताराम ने अपने जीवनकाल में खसरा संख्या 361 रकबा 31–07 बीघा भूमि ग्राम सेड़वा की खातेदारी खतों में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 361/1 सार्वजनिक निर्माण विभाग को तथा मूल खसरे 361 की तरमीम होकर सड़क तरमीम मौजा सेड़वा की जमाबंदी अलग कर व नक्शा सड़क तरमीम सेड़वा अलग कर के साथ तरमीम खतौनी अलग कर दी गई। मूल खसरा चार भागों में विभक्त कर दिया। खसरा संख्या 361 रकबा 7–09 बीघा खातेदार जावंताराम, खसरा संख्या 361/1 रकबा 10–10 बीघा खातेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग, खसरा संख्या 361/2 रकबा 10–13 बीघा खातेदार जावंताराम व खसरा संख्या 361/3 रकबा 2–15 बीघा भूमि खातेदार जावंताराम जुमले रकबा 31–07 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के संबंध में राजस्व दस्तावेज जो दुरुस्ती आवेदन के साथ तरमीम खतौनी व नक्शा सड़क तरमीम संलग्न आवेदन प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जो खतौनी में दुरुस्ती हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसी के आधार पर वर्तमान खतौनी व जमाबंदी में दुरुस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। अतः आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 681/361 की लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रकबा 02–15 बीघा के अनुसार राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा 01 बीघा की तरमीम दुरुस्त करते हुए 02–15 बीघा रकबा जमाबंदी में दर्ज करने व खसरा नम्बर 673/361 रकबा 07–09 बीघा के स्थान पर जमाबंदी में 10–13 बीघा भूमि का अंकन करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किए। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2024/1516 दिनांक 04.12.2024 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/521 दिनांक 20.02.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"पटवार मण्डल सेडवा के राजस्व ग्राम सेड़वा के खेत खसरा संख्या 681/361 व 873/361 की भू–नक्शा में अंकन तरमीम लट्ठाट्रेस की तरमीम व मौके की स्थिति में मिलान करने पर पाया कि मौके की स्थिति व तरमीम में बहुत भिन्नता है। मौके पर चिचड़ासर जाने वाली सड़क व भारतमाला सड़क दोनों सड़कें मूल खसरा संख्या 361 में से निकलने के कारण मूल खसरा सड़क अलावा तीन भागों में विभाजित हुआ, लेकिन तीनों खसरों के मौके का रकबा व वर्तमान जमाबंदी के रकबा में काफी भिन्नता है। पटवारी हल्का द्वारा उपलब्ध करवाए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी, लट्ठाट्रेस व भू–नक्शा की तरमीम व आदिनांक तक मूल खसरें 361 में दायर समस्त नामांतरकरण का अवलोकन किया गया। वक्त सेटलमेण्ट में मूल खसरा संख्या 361 रकबा 31–07 बीघा किस्म बारानी दोयम जो जांवता पुत्र गुणेशा कौम विश्नोई सां. देह खातेदार के नाम दर्ज था। उनकी फौतगी के बाद वर्तमान प्रार्थी रामकिशन पुत्र जांवताराम के नाम व उनके द्वारा बेचान करने पर अन्य के नाम दर्ज जिनके खाते की नकल साथ संलग्न है। उक्त मूल खसरे में नामान्तरकरण संख्या 227 अनुसार खसरा नंबर 361 में से गै.मु.सड़क के नामां. में गै.मु.सड़क का खसरा 361/1 (वर्तमान 674/361) रकबा 10–10 बीघा जमीन सड़क के नाम दर्ज होने से शेष खसरा तीन भागों में विभाजित हुआ,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

जिसमें नामा. में त्रुटि इस प्रकार दर्ज हुई कि खसरा नंबर 361 रकबा 07–09 बीघा दर्ज हुआ लेकिन मौके पर जमीन 10–10 बीघा है। खसरा नंबर 361/3 रकबा 02–15 बीघा दर्ज है, जबकि मौके अनुसार 05–09 बीघा भूमि है, खसरा नंबर 361/2 रकबा 10–13 बीघा दर्ज है लेकिन मौके अनुसार रकबा 5–07 बीघा है। मौके व रेकर्ड में भिन्नता बहुत ज्यादा है। इस कारण मौका व रिकॉर्ड में एकरूपता व काश्तकार की सुविधा के लिए तरमीम की निम्नानुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। इस फर्द के साथ नक्शे की (परिशिष्ट "ए") जो वर्तमान तरमीम व रिकॉर्ड अनुसार व (परिशिष्ट "बी") जो प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के बाद तरमीम व रिकॉर्ड अनुसार है जो इस फर्द का अभिन्न अंग है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर में) वर्तमान रिकॉर्ड व परिशिष्ट "ए" अनुसार	रकबा (हैक्टेयर में) प्रस्तावित तरमीम शुद्धि परिशिष्ट "बी" अनुसार
1.	बादामी देवी पत्नी डुंगरमल कौम खत्री 1/2 रामकिशन पुत्र जांवताराम 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	678/361	0–0405	0–0405
2.	ठाकराराम पुत्र मालाराम 1/6 पुरखाराम पुत्र मालाराम 2/3 हरिराम पुत्र लूखाराम 1/6 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	679/361	0–1214	0–1214
3.	खेताराम पुत्र पदमाराम कौम ब्राह्मण सा. बामड़ला खातेदार।	676/361 677/361	0–0647 0–1376	0–0647 0–1376
4.	मांगीलाल पुत्र पदमाराम कौम ब्राह्मण सा. कृष्णपुरा खातेदार।	890/361	0–1214	0–1214

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

5.	लाधूराम पुत्र रामकिशन 1/2 सुजानाराम पुत्र रामकिशन 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार।	675/361	1—0198	0—1619
6.	नरेश कुमार पुत्र सूरजकरण कौम माहेश्वरी पनोरिया खातेदार।	1266/361	0—2185	0—2185
7.	लाधूराम पुत्र रामकिशन 1/2 सुजानाराम पुत्र रामकिशन 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1311/1236 681/361 680/361	0—3642 0—1619 0—2833	0—5585 0—3237 0—5585
8.	रामकिशन पुत्र जांवताराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1312/1236 673/361	0—3642 0—3237	0—3642 0—5503
9.	राजस्थान सरकार (समर्पण)	1313/1236	0—1538	0—1538
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	674/361	1—6997	1—6997

उपर्युक्तानुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है। मौका फर्द पढकर सुनाई गई। सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान किए।" मौका जांच तथ्यात्मक प्रतिवेदन में संबंधित पक्षकारान् के अंगूठे निशानात् व हस्ताक्षर अंकित है।

वकील प्रार्थी उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों की ओर से बावजूद नोटिस तामिल कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 280/2021 उनवान रामकिशन वगैरा बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

तहसीलदार सेड़वा वगैरा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन ग्राम सेड़वा के खसरा संख्या 678/361 रकबा 0–0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 679/361 रकबा 0–1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 676/361 रकबा 0–0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 677/361 रकबा 0–1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 890/361 रकबा 0–1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 675/361 रकबा 1–0198 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0–1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1266/361 रकबा 0–2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1311/1236 रकबा 0–3642 हैक्टेयर के स्थान पर 0–5585 हैक्टेयर, खसर संख्या 681/361 रकबा 0–1619 हैक्टेयर के स्थान पर 0–3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 680/361 रकबा 0–2833 के स्थान पर 0–5585 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1312/1236 रकबा 0–3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 673/361 रकबा 0–3237 हैक्टेयर के स्थान पर 0–5503 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1313/1236 रकबा 0–1538 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 674/361 रकबा 1–6997 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ट "बी" अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/521 दिनांक 20.02.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.02.2025, खसरा नक्शा, परिशिष्ट बी व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा सत्यमेव जयते

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा जिला –बाड़मेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 521

दिनांक– 20/02/2025

प्रषित :– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा जिला – बाड़मेर

विषय :–राजस्व आवेदन संख्या 280 / 2021 अनवान रामकिशन बनाम सरकार अन्तर्गत 136 आर.एल.आर. एक्ट में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के आदेश क्रमांक / रीडर / 2024 / 1516 दिनांक 04.12.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक सन्दर्भ में निवेदन हैं कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मे आवेदन संख्या 280 / 2021 अनवान रामकिशन बनाम सरकार अन्तर्गत 136 आर.एल.आर. एक्ट में राजस्व ग्राम सेड़वा के खसरा संख्या 681 / 361 एवं 873 / 361 तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी थी जिसकी पालना में पटवार मण्डल सेड़वा के राजस्व ग्राम सेड़वा के मूल खसरा संख्या 361 के मौके पर हल्का पटवार के साथ जाकर मौके अनुसार मौके पर मौका फर्द तैयार की गई एवं राजस्व रिकार्ड वर्तमान लट्ठाट्रेस अनुसार परिशिष्ट "A" व मौके अनुसार राजस्व रिकार्ड और तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित अनुसार परिशिष्ट "B" तैयार किया गया जो साथ सलंग्न कर मौके पर रूबरू मौतबिरान रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान जी को प्रषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

मौका – फर्द

आज दिनाँक 16.02.2025 को माननीय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला – बाड़मेर के क्रमांक/रीडर/2024/1516 दिनाँक 04.12.2024 की पालना में पटवार मण्डल सेड़वा के राजस्व ग्राम सेड़वा के खेत खसरा सं. 681/361 व 873/361 की तरमीम दुरस्ती के आदेश की पालना में मौका जाँच हेतु मौके पर हमराह हल्का पटवारी सेड़वा व रूबरू मौतबिरान मौके की जांच के लिए पहुँचा। भू-नक्शा में अंकन तरमीम लट्ठाट्रेस की तरमीम व मौके की स्थिति में मिलान करने पर पाया कि मौके की स्थिति व तरमीम में बहुत भिन्नता है। मौके पर चिचड़ासर जाने सड़क व भारत माला सड़क दोनों सड़के मूल खसरा 361 में से निकलने के कारण मूल खसरा की सड़क अलावा तीन भागों में विभाजित हुआ लेकिन तीनो खसरो के मौके का रकबा व वर्तमान जमाबंदी के रकबा में काफी भिन्नता है। पटवारी हल्का द्वारा उपलब्ध करवाये राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, लट्ठाट्रेस व भू-नक्शा की तरमीम व आ दिनाँक तक मूल खसरा 361 में दायर समस्त नामा० का अवलोकन किया गया। वक्त सेटलमेण्ट में मूल खसरा 361 रकबा 31-07 बीघा किस्म बा. दोयम जो जांवता पुत्र गणेशा कौम विश्नोई सा. देह खातेदार के नाम दर्ज था उनके फौतगी के बाद वर्तमान प्रार्थी रामकिशन पुत्र जांवताराम के नाम व उनके द्वारा बेचान करने पर अन्य के नाम दर्ज जिनके खाते की नकल साथ संलग्न है। उक्त मूल खसरे में नामा० सं. 227 अनुसार ख.नं. 361 में से गै.मु. सड़क के नामा में गै.मु. सड़क का खसरा 361/1 (वर्तमान 674/361) रकबा 10-10 बीघा जमीन सड़क के नाम दर्ज होने पर शेष खसरा तीन भागो में विभाजित हुआ जिसमें नामा में त्रुटि इस प्रकार दर्ज हुई कि ख.नं. 361 रकबा 7-09 बीघा दर्ज हुआ लेकिन मौके पर जमीन 10-01 बीघा है। ख.नं. 361/3 रकबा 2-15 बीघा दर्ज जबकि मौके अनुसार 5-09 बीघा भूमि है, व ख.नं. 361/2 रकबा 10-13 बीघा दर्ज लेकिन मौके अनुसार रकबा 5-07 बीघा है। मौके व रिकार्ड में भिन्नता [illegible] ज्यादा है। इस कारण मौका व रिकार्ड में एकरूपता [illegible] सुविधा के लिए तरमीम की निम्नानुसार तरमीम किया जाना उचित है। —

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सैडवा

16/02.2025
पटवारी सेड़वा

16.02.25
ILR सेड़वा

रामकिशन — पिथुराम — सुजानाराम — नरेश

डूंगाराम — उम्मेदाराम — मोडाराम — रोड़ताराम

P.T.O.

...र....

...त फर्द के साथ नक्शे की (परिशिष्ट "A") जो वर्तमान तरमीम व रिकार्ड अनुसार व (परिशिष्ट "B") जो प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के बाद तरमीम व रिकार्ड अनुसार है जो ...रय फर्द का अभिन्न अंग है—

प्रपत्र

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा वर्तमान रिकार्ड व परिशिष्ट "A" अनुसार	रकबा प्रस्तावित तरमीम शुद्धि परिशिष्ट "B" अनुसार
1.	बादामी देवी पत्नी डूंगरमल 1/2, रामकिशन पुत्र जांवताराम 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार।	678/361	0.0405 हैक्टेयर	0.0405 हैक्टेयर
2.	डाकराराम पुत्र मालाराम 1/6, पुरखाराम पुत्र मालाराम 2/3, हरिराम पुत्र पुरखाराम 1/6 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार।	679/361	0.1214 हैक्टेयर	0.1214 हैक्टेयर
3.	भैराराम पुत्र पन्नाराम कौम ब्राह्मण सा. बामनला खातेदार।	676/361	0.0647 हैक्टेयर	0.0647 हैक्टेयर
		677/361	0.1376 हैक्टेयर	0.1376 हैक्टेयर
4.	मांगीलाल पुत्र पन्नाराम कौम ब्राह्मण सा. कृष्णपुरा खातेदार।	890/361	0.1214 हैक्टेयर	0.1214 हैक्टेयर
5.	लाधूराम पुत्र रामकिशन 1/2, सुजानाराम पुत्र रामकिशन 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार।	675/361	1.0138 हैक्टेयर	0.1619 हैक्टेयर
6.	नरेश कुमार पुत्र सूरजकरण कौम माहेश्वरी पनोरिया खातेदार।	1266/361	0.2185 हैक्टेयर	0.2185 हैक्टेयर
7.	लाधूराम पुत्र रामकिशन 1/2, सुजाना पुत्र रामकिशन 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार।	1311/1236	0.3642 हैक्टेयर	0.5585 हैक्टेयर
		681/361	0.1619 हैक्टेयर	0.3237 हैक्टेयर
		680/361	0.2833 हैक्टेयर	0.5585 हैक्टेयर
8.	रामकिशन पुत्र जांवताराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार।	1312/1236	0.3642 हैक्टेयर	0.3642 हैक्टेयर
		673/361	0.3237 हैक्टेयर	0.5503 हैक्टेयर
9.	राजस्थान सरकार (समर्पण)	1313/1236	0.1538 हैक्टेयर	0.1538 हैक्टेयर
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	674/3[illegible]	1.6997 हैक्टेयर	1.6997 हैक्टेयर

उपरोक्त अनुसार तरमीम [illegible] जाना उचित है मौका फर्द पढ़कर सुनायी गई सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर अंगूठा निशान किये।

बादामी Gw रामकिशन लाधुराम सुजानाराम नरेश

पटवार हल्का पटवारी (भू.अ.) सेडवा

[illegible] 16-02-25 [illegible]

छोगाराम डाकराराम मांगीलाल [illegible]

Mafi

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नक्शा किश्तवार विभाजन

मौजा – सेंड़वा

तहसील सेंड़वा

पैमाना – 1 इंच = 20 गट्ठा

(परिशिष्ट "A") वर्तमान भू-नक्शा अनुसार तरमीम

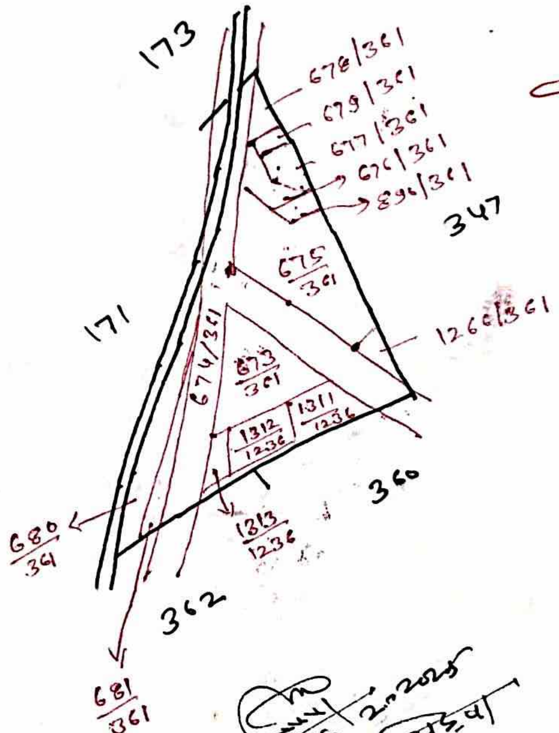

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेंडवा

तहसीलदार (भू.अ.) सेंडवा

16-02-25

बद्रामी चोथुराम राधेकिशन नरेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested

छोगाराम

आंशिक नक्शा किश्तवार विभाजन
मौजा – सेड़वा
तहसील – सेड़वा
पैमाना – १ इंच = २० गट्ठा

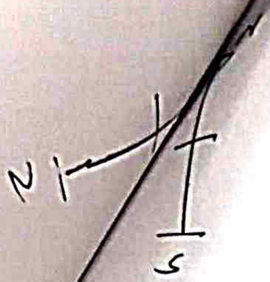

(परिशिष्ट "B") मौके अनुसार शुद्धि हेतु प्रस्तावित तरमीम

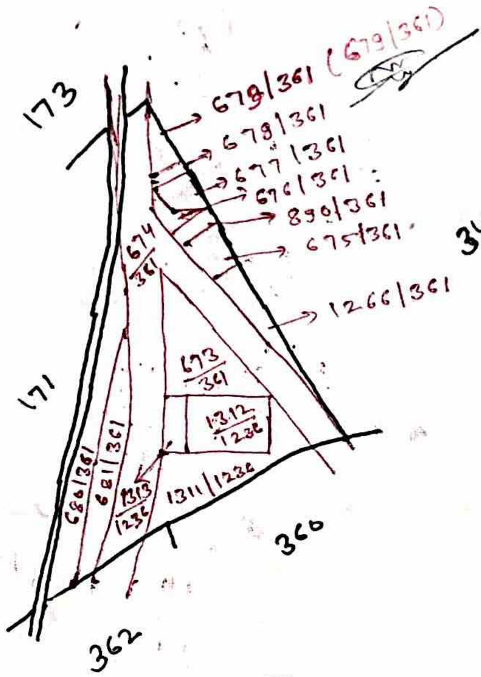

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

19/62
16-02-25
पo सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

बद्रीराम लाधुराम रामकिशन नरेश

छोगाराम सेडताराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:56 IST
Reason: SelfAttested